भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3710

18 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

पेयजल सर्वेक्षण का उद्देश्य और विशेषताएं

3710. श्री विद्युत बरन महतो:
श्री चन्द्र शेखर साहू:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री रवि किशन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से जल के समान वितरण, जल के पुन: उपयोग और जल विभागों के मापन के लिए पेयजल सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में पेयजल सर्वेक्षण के लिए शहरों के चयन के लिए तय मानदंड और ब्यौरा क्या है;
(घ) इस परियोजना के तहत अब तक कितनी राशि आवंटित/जारी की गई है; और
(ङ) क्या परियोजना के समापन के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : जी, हाँ। प्रस्तावित जल जीवन मिशन-शहरी के तहत, शहर में जल आपूर्ति की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज आदि के संबंध में सेवा स्तर बेंचमार्कों का अनुपालन, प्राथमिक/गौण परिशोधन सयंत्र/मल पंक परिशोधन सयंत्र की क्षमता और उपचारित अपशिष्ट जल और इसकी पुन: उपयोग की मात्रा का आकलन करने के लिए एक चुनौती प्रक्रिया के रूप में चुनिंदा शहरों में पेय जल सर्वेक्षण का प्रस्ताव किया गया है। यह जल स्रोतों और जल निकायों के कायाकल्प के माध्यम से गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों का भी आकलन करेगा।

(ग) से (ङ): सरकार द्वारा इस मिशन को मंजूरी प्राप्त होने के बाद पेय जल सर्वेक्षण के लिए शहरों के चयन, निधि आवंटन और समय सीमा के मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

****